रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 462] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 1984/अग्रहायण 12, 1906

No. 462] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 1984/AGRAHAYANA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1984

अधिसूचना

सा०का०नि० 802(अ)—खान नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिये कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जायेगा।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पहले उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान (संशोधन) नियम, 1984 है।

2. खान नियम, 1955 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के विद्यमान खण्ड (अ) को, खण्ड (आ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा, इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (आ) से पहले, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(अ) 'कैन्टीन का भारसाधक अधिकारी' से (प्रबंधक से भिन्न) ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे स्वामी या अभिकर्ता कैन्टीन से संबंधित उपबंधों का अनुपालन करने के लिये नियुक्त करे।"

3. उक्त नियमों के अध्याय 2 में,—

(i) "खान बोर्ड" शीर्षक के स्थान पर, "समिति" शीर्षक रखा जायेगा;

(ii) "बोर्ड" शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है "समिति" शब्द रखा जायेगा,

(iii) उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"3. पदावधि—अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, राजपत्र में उनकी नियुक्ति अधिसूचित किये जाने की तारीख से 3 वर्ष होगी" :

परन्तु कोई सदस्य, 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दी जाती है :

परन्तु यह और कि कोई ऐसा सदस्य, जिसकी नियुक्ति आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये की गई है, उस सदस्य की पदावधि की शेष अवधि तक पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है और पदावधि के समाप्त हो जाने पर तब तक अपना पद धारण करता रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दी जाती है।"

(iv) उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"4. समिति का सचिव—मुख्य निरीक्षक द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट खानों का कोई निरीक्षक, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।"

(v) उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"5. पारिश्रमिक—समिति के सदस्य ऐसा मानदेय प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार नियत करे।"

(vi) उक्त नियमों के नियम 6 का लोप किया जायेगा;

(vii) उक्त नियमों के नियम 12 में,—

(क) उप नियम (1क) का लोप किया जायेगा;

(ख) विद्यमान उप-नियम (2) को उप-नियम (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-नियम (3) के पहले, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचनाएं सदस्य के सामान्य निवास स्थान पर परिदत्त की जायेंगी या डाक से भेजी जायेंगी।"

(viii) उक्त नियमों के नियम 14 में "चार सदस्य" शब्दों के स्थान पर "चार सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है" शब्द रखे जायेंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 22 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) उप-नियम (1) के अधीन वसूल की जाने के लिये निर्दिष्ट रकम, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा सम्बद्ध प्राधिकारी को आवेदन किये जाने पर, स्वामी से उसी रीति से वसूल की जायेगी जिस रीति से भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है"।

5. उक्त नियमों के नियम 24 में,—

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(1) धारा 43 के उप-नियम (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, प्रमाणकर्ता सर्जन, स्वास्थ्य परीक्षा के लिये, तारीख, समय और स्थान के बारे में पूर्व सूचना देने के पश्चात् और ऐसी परीक्षा के लिए भेजे गये व्यक्तियों की परीक्षा करने पर, आयु और योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्र तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रख लेने के पश्चात् उसे सम्बद्ध खान के प्रबंधक को परिदत्त कर देगा ";

(ii) उप नियम (3), (4) और (5) का लोप किया जायेगा।

6. उक्त नियमों के नियम 25, 26 और 27 का लोप किया जायेगा।

7. उक्त नियमों के नियम 28 के उप-नियम (1) में, "धारा 40 या" शब्दों और अंकों का लोप किया जायेगा।

8. उक्त नियमों के नियम 29 का लोप किया जायेगा।

9. उक्त नियमों के अध्याय 4क के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"अध्याय 4ख

कर्मकार निरीक्षक और सुरक्षा समिति

29ख कर्मकार निरीक्षक : (1) (क) ऐसे हर खान में, जिसमें सामान्यतः 500 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, कर्मकारों द्वारा सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट खान के तीन यथोचित अर्हित कर्मधारियों को, खनन संक्रियाओं, विद्युत् संस्थापनों और यांत्रिक संस्थापन में से प्रत्येक के लिये एक-एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उसमें नियोजित कर्मकारों की ओर से खान का निरीक्षण करने के लिये पदाभिहित करेगा। जब किसी खान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 1500 से अधिक हो जाये, तब कर्मकार निरीक्षक की सहायता प्रत्येक अतिरिक्त 500 व्यक्तियों या उसके भाग के लिये खनन शाखा में एक अतिरिक्त कर्मकार निरीक्षक करेगा।

(ख) हर खान में, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, नियमित और ऐसी अनुकल्पी सदस्यों से, जो उस दशा में प्रतिस्थानी के कार्य कर सकें जब

कोई नियमित सदस्य अपनी बीमारी या छुट्टी के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, कर्मकार निरीक्षकों का एक पैनल गठित करेगा ।

(ग) पैनल में, खनन, विद्युत और यांत्रिक संस्थापन तथा संक्रियाओं में से प्रत्येक के लिये कम-से-कम एक-एक कर्मकार निरीक्षक होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, किसी खान के कर्मकार निरीक्षक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक कि,—

(क) उसके पास अधिनियम के अधीन दिया गया ओवरमैन या फोरमैन का प्रमाणपत्र न हो : परन्तु—

(i) खानों में संस्थापित विद्युत् मशीनरी के संबंध में, ओवरमैन की प्रास्थिति के समतुल्य विद्युत् फोरमैन की नियुक्ति की जा सकेगी; और

(ii) खानों में संस्थापित अन्य मशीनरी या यांत्रिक साधित्रों के संबंध में, ओवरमैन की प्रास्थिति के समतुल्य यांत्रिक फोरमैन की नियुक्ति की जा सकेगी;

(ख) उसके पास खानों में काम करने का कम-से-कम 5 वर्ष का अनुभव न हो, जिसके अन्तर्गत उन खानों में कार्यकरण में, जिनके लिये उसका नामनिर्देशन किया गया है, कम-से-कम 2 वर्ष का अनुभव भी है,

(ग) उसने कर्मकार निरीक्षकों के लिये अभिविन्यास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम न किया हो।

(3) कर्मकार निरीक्षक, नियम 29द के उपनियम (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन प्रत्येक सप्ताह में दो दिन करेगा; सप्ताह के शेष दिनों में, वह अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जब तक कि उससे नियम 29द के उपनियम (1) के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित कर्तव्यों के पालन के लिये अपेक्षा न की जाये।

(4) (क) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, कर्मकार निरीक्षक को, उसके कर्तव्यों से संबंधित किसी प्रविष्टि, निरीक्षण, माप, परीक्षा या जाँच करने के लिये सभी उचित सुविधाएं देगा ।

(ख) खान का कोई पदधारी, कर्मकार निरीक्षक के साथ उसके निरीक्षण के दौरान रहेगा ।

(ग) कर्मकार निरीक्षक किसी भी समय अपना निरीक्षण कर सकेगा ।

(5) जब किसी खान में या उसके आसपास कोई दुर्घटना या खतरनाक घटना हो जाती है तब, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, ऐसी दुर्घटना या घटना की सूचना संबंधित कर्मकार निरीक्षक को तत्काल देगा ।

(6) कर्मकार निरीक्षक, खान के कार्य में अड़चन या बाधा डालने के लिये अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा ।

(7) उप-नियम (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट कर्मकार निरीक्षक, जब तक कि वह अपने पद का त्याग न कर दे अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेगा और पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगा ।

(8) कोई भी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, कर्मकार निरीक्षक के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई कार्रवाई नहीं करेगा ।

29द. कर्मकार निरीक्षक के कर्तव्य :—(1) कर्मकार निरीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

(क) सभी कूपकों, आनतियों, सड़कों, कार्य-स्थानों और उसके उपस्कर का, जिसके अन्तर्गत कर्मकारों के सवारी और परिवहन के लिये उपस्कर भी हैं, निरीक्षण करना ।

(ख) किसी ऐसे अत्यावश्यक और आसन्न संकट जो उसकी जानकारी में आये, की दशा में—

(i) उसके बारे में प्रबंधक और निरीक्षक को सूचित करना; और

(ii) संकट से बचने के लिये आवश्यक उपचारी उपाय सुझाना; और

(ग) निरीक्षक द्वारा खान के पूर्ण निरीक्षण के दौरान और अन्य ऐसे निरीक्षणों के दौरान भी जो वह आवश्यक समझे, उसके साथ रहना ।

(2) कर्मकार निरीक्षक, अपने निरीक्षण के परिणाम-स्वरूप सुनिश्चित किये गये विषयों की पूरी रिपोर्ट खान में इस प्रयोजन के लिये रखे गये अंतःपचित पृष्ठ वाले और जिल्दबंद रजिस्टर में प्ररूप "प" में अभिलिखित करेगा । कर्मकार निरीक्षक, पूर्वोक्त रजिस्टर में प्रविष्टि करके, ऐसी प्रविष्टियों पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा और प्रविष्टियों की एक प्रति अपने अभिलेख के लिये रख लेगा ।

29ध. कर्मकार निरीक्षक की रिपोर्ट पर कार्रवाई :—

(1) नियम 29द के उप-नियम (2) में उल्लिखित कर्मकार निरीक्षक की रिपोर्ट की एक सही प्रति, खान के कार्यालय के बाहर रखी जायेगी । रिपोर्ट उस भाषा में होगी जिसे खान में नियोजित अधिकांश व्यक्ति समझते हों ।

(2) खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, 29द के उप-नियम (2) में उल्लिखित रजिस्टर में, रजिस्टर में प्रविष्टि करने की तारीख से 15 दिन के भीतर, टिप्पणियां दर्ज करेगा जिनमें किये गये उपचारी उपाय और वह तारीख जिसको कार्रवाई की गई थी, दर्शित होंगे ।

(3) कर्मकार निरीक्षक और स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के बीच मतभेद होने की दशा में, ऐसे मतभेद के बारे में, उस पर टिप्पणियों के साथ, रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य निरीक्षक या कोई अन्य निरीक्षक को विनिश्चय के लिये भेजा जायेगा ।

29न. सुरक्षा समिति:—हर ऐसी खान के लिये, जिसमें सामान्यतः 100 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, खान में सुरक्षा के संवर्धन के लिये एक सुरक्षा समिति गठित करेगा :

परन्तु यह तब जब कि मुख्य निरीक्षक या कोई निरीक्षक, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट खानों के किसी समूह या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सभी खानों के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक से ऐसी रीति से, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, एक समूह सुरक्षा समिति गठित करने की अपेक्षा करे।

29प. सुरक्षा समिति की संरचना :—सुरक्षा समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) प्रबंधक, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट खान के पाँच पदधारी;

(ग) खान के कर्मकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति;

(घ) कर्मकार निरीक्षक; और

(ङ) सुरक्षा अधिकारी, या जहां कोई सुरक्षा अधिकारी नहीं है वहां, प्रबंधक के ठीक बाद का ज्येष्ठतम खान पदधारी, जो समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

29फ. सुरक्षा समिति के कृत्य :—समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) उपचारी उपायों के प्रस्तावों पर विचार करने और उन पर समुचित सिफारिशें करने के लिये खान में असुरक्षित दशाओं और प्रथाओं का पता लगाने के लिये समय-समय पर निरीक्षण करना;

(2) किसी खान के किसी नये जिले में संक्रियाओं के प्रारम्भ या नये विद्युत् या यांत्रिक संस्थापन के प्रारंभ से पहले, समुचित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उपायों के बारे में ऐसे जिले या संस्थापन का निरीक्षण करना और सिफारिश करना;

(3) दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट पर विचार और विश्लेषण करना और समुचित सिफारिश करना ;

(4) दुर्घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित समुचित सुरक्षा अभियान तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना;

(5) उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये विषय पर विचार करने और ऐसी सिफारिशें करने, जो वह ठीक समझे, के लिये 30 दिन में कम-से-कम एक बार बैठक करना; और

(6) सुरक्षा और उपजीविका जन्य स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर संसूचना के लिये एक फोरम के रूप में सेवा करना।

29ब. सुरक्षा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन :—सुरक्षा समिति की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, सुरक्षा समिति के सचिव को, सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये की गई कार्रवाई उपदर्शित करेगा।"

10. उक्त नियमों के नियम 52 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"52. शिक्षु या प्रशिक्षणार्थी का नियोजन :—

खान के किसी अनुभवी व्यक्ति के साक्षात् पर्यवेक्षण के अधीन सिवाय 16 से 18 वर्ष की आयु का कोई शिक्षु या प्रशिक्षणार्थी खान में नियोजित नहीं किया जायेगा।"

11. उक्त नियमों के नियम 68 और 69 में, "प्रबंधक" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है "कैंटीन भारसाधक अधिकारी" शब्द रखे जायेंगे।

12. उक्त नियमों के नियम 76 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"76. रिपोर्ट योग्य और छोटी दुर्घटनाओं के रजिस्टर:—

(1) धारा 23 की उप-धारा (1क) द्वारा अपेक्षित रजिस्टर, प्ररूप ञ में रखा जायेगा और उसकी एक प्रति संबंधित निरीक्षक को भेजी जायेगी।

(2) धारा 23 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रजिस्टर, प्ररूप ट में रखा जायेगा और उसकी एक प्रति संबंधित खान निरीक्षक को भेजी जाएगी।"

13. उक्त नियमों के नियम 82 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"82क. उपजीविका जन्य रोग के लिए निःशक्तता भत्ता और प्रतिकर :—(1) यदि किसी खान में नियोजित कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 9क के अनुसरण में चिकित्सीय उपचार लेने के पश्चात् और स्वास्थ्य परीक्षा होने पर, उस कर्तव्य का, निर्वहन करने के लिए चिकित्सक दृष्टया अयोग्य हो जाता है जिसे वह उक्त परीक्षा के ठीक पहले खान में निर्वहन कर रहा था और ऐसी अयोग्यता, खान में उसके नियोजन से प्रत्यक्षरूप से संबंधित मानी जा सकती है और खान में ऐसी कोई आनुकल्पिक नियोजन जिसके लिये वह चिकित्सक दृष्टया योग्य है, उसके लिये तुरन्त उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस अवधि के लिये जिस तारीख से उसे चिकित्सक दृष्टया अयोग्य घोषित किया गया है,

और उसे आनुकल्पिक नियोजन उपलब्ध कराए जाने तक उसकी मासिक मजदूरी के 50 प्रतिशत की दर से निःशक्तता भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(2) यदि, कोई व्यक्ति खान में अपने नियोजन को छोड़ने का विनिश्चय करता है, तो वह ऐसे प्रतिकर के लिये हकदार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञेय है, क्योंकि ऐसे रोग का लग जाना उस अधिनियम के अधीन दुर्घटना द्वारा क्षति समझी जाती है । यदि अधिनियम की अनुसूची III के अन्तर्गत रोग नहीं आता है, तो उसे उन्हें दरों से निःशक्तता प्रतिकर का संदाय किया जायेगा जो उस अधिनियम के अधीन उपबंधित हैं मानों वह एक क्षति है । इस नियम के अधीन संदेय एक मुश्त प्रतिकर उस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर के अतिरिक्त नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिये, "मजदूरी" का वही अर्थ होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) में परिभाषित है।

(3) उप-नियम (1) और (2) के उपबन्ध किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जिसका किसी खान में नियोजित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन या किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा-संविदा के निबंधनों के अधीन हकदार हो और जब ऐसे अधिनिर्णय, करार या सेवा-संविदा में उप-नियम (1) और (2) में उपबन्धित निःशक्तता प्रतिकर से अधिक अनुकूल फायदे के लिये उपबंध हो तो ऐसा व्यक्ति केवल ऐसे फायदों का हकदार होगा।

14. उक्त नियमों की प्रथम अनुसूची में,

(क) प्ररूप क में—

(1) स्तम्भ 4 का लोप किया जायेगा;

(2) स्तंभ 5 और 6 को क्रमशः स्तंभ 4 और 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

(ख) प्ररूप ग, घ और ङ में आये "कुमार" शब्द का लोप किया जायेगा।

(ग) प्ररूप ञ में,

(1) "(नियम 76 देखिए)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "[नियम 76(1)(देखिए)]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जायेंगे,

(2) "छोटी दुर्घटनाओं की विवरणी" शब्दों के स्थान पर "रिपोर्ट योग्य दुर्घटनाओं की विवरणी" शब्द रखे जायेंगे ;

(3) "वर्ष——————" शब्द के स्थान पर, "——— को समाप्त होने वाली तिमाही" शब्द रखे जायेंगे ;

(4) अनुदेश के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"टिप्पण : पूर्ववर्ती तिमाही में क्षतिग्रस्त और इस तिमाही में लगातार अनुपस्थित रहे व्यक्तियों की बाबत प्रविष्टियों की प्रतियां अलग-अलग प्रस्तुत की जानी चाहिएं ।"

(घ) प्ररूप ट के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जायेगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 'ट'

[नियम 76(2) देखिए]

छोटी दुर्घटनाओं की विवरणी

खान का नाम .....

राज्य ..... जिला .....

स्वामी .....

किया गया खनिज कार्य .....

..... को समाप्त होने वाली तिमाही छोटी दुर्घटनाओं की विवरणी

क्रम सं	प्रविष्टि की तारीख	दुर्घटना की तारीख	दुर्घटना का समय	वर्गीकरण		दुर्घटना के मामले का संक्षिप्त वर्णन	क्षतिग्रस्त कर्मकार का नाम	प्ररूप 'ख' में रजिस्टर से क्र. सं.	नियोजन की प्रकृति	क्षति की प्रवृत्ति	शरीर का क्षतिग्रस्त अंग	कार्य पर क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लौटने की तारीख	परिचर्या करने वाले चिकित्सा व्यवसायी के आद्याक्षर	टिप्पण
				दुर्घटना के स्थान के अनुसार	कारण के अनुसार									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

अनुदेश :—

स्तम्भ (5) विनिर्दिष्ट कीजिए जैसा प्ररूप म के उपाबन्ध 1 में उपदर्शित है।

स्तम्भ (6) विनिर्दिष्ट कीजिए जैसा प्ररूप म के उपाबन्ध 2 में उपदर्शित है।

स्तम्भ (7) जिन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई उनका संक्षिप्त वर्णन दीजिए।

स्तम्भ (11) यह विनिर्दिष्ट किया जाए कि साधारण जख्म है, चीरा है, खरोंच आदि है।

स्तम्भ (15) यदि कोई क्षति रिपोर्ट योग्य, "गंभीर" या "प्राणांतक" साबित करे या जब कोई क्षतिग्रस्त व्यक्ति छुट्टी पर चला जाए या अपना नियोजन छोड़ दे तो विशिष्टियां इस स्तम्भ में प्रविष्ट की जानी चाहिएं।"

(ङ) प्ररूप न के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"प्ररूप-प

(नियम 29द और 29ध देखिए)

खान का नाम——— स्वामी——— प्रबन्धक———

निरीक्षित स्थान/संस्थापन———

किसने निरीक्षण किया———

कब किया———

किसके साथ किया———

संप्रेक्षण	सुझाए गए उपचारी उपाय	उपचारी उपायों के लिए की गई कार्रवाई	तारीख, जिसको कार्रवाई की गई	टिप्पणियां यदि कोई हों
1	(2)	(3)	(4)	(5)

कर्मकार निरीक्षक के हस्ताक्षर———

तारीख———

कर्मकार निरीक्षक के साथ रहने वाले खान पदधारी के

हस्ताक्षर———

तारीख——— पदनाम"———

15. उक्त नियमों की पंचम अनुसूची में,

(क) खण्ड 3 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3क. मुख्य निरीक्षक या कोई निरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, खान में सुरक्षा और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर सकेगा। ऐसे सर्वेक्षण में परीक्षा के लिए चुने गए किसी व्यक्ति द्वारा व्यतीत किए गए समय की गिनती उसके काम के समय के साथ की जाएगी, किन्तु इस प्रकार कि अतिकाल भत्ता का संदाय मजदूरी की मामूली दर पर किया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे सर्वेक्षण में चिकित्सक दृष्टया अयोग्य पाया जाता है, तो वह, ऐसे उपचार की अवधि के दौरान, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के खर्च पर चिकित्सीय उपचार का, पूरी मजदूरी के साथ, हकदार होगा। यदि ऐसे उपचार के पश्चात् वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में चिकित्सक दृष्टया अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और यदि ऐसी अयोग्यता उसके नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित मानी जाती है, तो वह आनुकल्पिक नियोजन या निःशुक्तता भत्ता का हकदार होगा और यदि वह अपना नियोजन छोड़ना चाहता है तो एक मुस्त प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा। (धारा 9क)"

(ख) खण्ड 5 में, निम्नलिखित अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों, नियमों, उपविधियों या आदेशों के उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए, ऐसा व्यक्ति जो उल्लंघन करता है, संबंधित पर्यवेक्षक, खान का स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक तथा कैंटीन, शिशुगृह या गर्तमुख स्नानगृह के मामले में, धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हो, दोषी समझा जाएगा।"

(ग) (1) "दुर्घटनाएं" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"दुर्घटनाएं और प्रतिषेधात्मक आदेश"

(2) स्तंभ 7 में, निम्नलिखित अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उत्तरभावी दुर्घटनाओं को रोकने, या जीवन की रक्षा करना या लाशों को बरामद करने के सिवाय, दुर्घटना स्थल को मुख्य निरीक्षक या किसी निरीक्षक के पहुंचने से पूर्व या उनकी सहमति के बिना या दुर्घटना होने से 72 घंटे की समाप्ति से पूर्व, जो भी सबसे पहले हो अस्तव्यस्त या परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जब तक कि दुर्घटना के स्थल पर काम रुक जाने के कारण, खान के कार्य-करण में कोई गंभीर अड़चन न आती हो।"

(घ) खण्ड 8 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8क. हर ऐसे व्यक्ति को, जिसका नियोजन धारा 22 की उप-धारा (1क) या उप-धारा (3) के अधीन या धारा 22क की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिषिद्ध है, सुसंगत अवधि या उपलब्ध कराए गए आनुकल्पिक नियोजन के लिए पूरी मजदूरी का संदाय किया जाएगा। (धारा 22 और 22क)।"

(ङ) खण्ड 13 में, "मजदूरी की मामूली दर" की परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित परिभाषा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"मजदूरी की मामूली दर" से अभिप्रेत है मूल मजदूरी तथा कोई मंहगाई भत्ता, भूमिगत भत्ता, प्रोत्साहन बोनस (किन्तु सामान्य बोनस नहीं), अनाज और खाद्य तेल के निःशुल्क प्रदाय के लिए (किन्तु निःशुल्क आवास, कोयला, मिट्टी के तेल, औजार और वर्दी के निःशुल्क प्रदाय, चिकित्सकीय और शैक्षिक सुविधाओं, बीमारी भत्ता के लिए नहीं) नकद प्रतिकर और किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे मात्रानुपाती दर के आधार पर संदाय किया जाता है, पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान उसके पूर्णकालिक उपाजीव (जिसमें कोई अतिकाल सम्मिलित नहीं है) का औसत।"

(च) खण्ड 19 और 20 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड क्रमशः अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"19. 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति खान के किसी भाग में काम नहीं करेगा, जब तक कि वह शिक्षु या प्रशिक्षणार्थी न हो। ऐसे मामले में वह 18 वर्ष से कम हो सकेगा किन्तु 16 वर्ष से कम आयु का नहीं होगा।"

(धारा 40)

20. जहां किसी निरीक्षक की यह राय हो कि किसी शिक्षु या अन्य प्रशिक्षणार्थी से अन्यथा खान में नियोजित कोई व्यक्ति व्यस्क नहीं है या खान में किसी शिक्षु या अन्य प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या काम करने के योग्य नहीं रह गया है, वहां निरक्षक, खान के प्रबंधक पर यह अपेक्षा करते हुए सूचना तामील कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति की परीक्षा किसी प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा की जाए और यदि निरीक्षक ऐसा निदेश करे तो ऐसे व्यक्ति को किसी खान में तब तक

नियोजित नही किया जाएगा या काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि उसकी इस प्रकार परीक्षा न हो गई हो और यह प्रमाणित न कर दिया गया हो कि वह वयस्थ है या यदि ऐसा व्यक्ति शिक्षु या प्रशिक्षणार्थी है तो वह सोलह वर्ष से कम आयु का नहीं है और काम करने के योग्य है (धारा 43)"

(छ) खंड 21, 22, 23 और 24 का लोप किया जाएगा।

(ज) खण्ड 26 के उप-खण्ड (1) में, "और किसी वयस्थ की दशा में इसकी योग्यता के प्रमाण-पत्र का निर्देश" शब्दों का लोप किया जाएगा और "होगा" शब्द के स्थान पर "होगी" शब्द रखा जाएगा ।

(झ) खण्ड 27 के उप-खण्ड (1) (क) में "सोलह दिन" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह दिन" शब्द रखे जाएंगे।

(ञ) खण्ड 27 के उप-खण्ड (9) के पश्चात् स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित उप-खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(10) यदि किसी खान में नियोजित किसी व्यक्ति को सेवान्मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है या वह अपना नियोजन छोड़ देता है या अधिवर्षिता पर पहुंच जाता है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो, वह या उसके वारिस या उसके नामनिर्देशिती शोध्य छुट्टी के बदले मजदूरी के हकदार है, यदि वह धारा 52 की उप-धारा (10) में विहित न्यूनतम संख्या में उपस्थित रहा है।"

(ट) स्पष्टीकरण में, खण्ड 27 के उप-खण्ड (10) के पश्चात् "(1) और (3)" कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर "(1), (3) और (10)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ठ) खण्ड 32 में, "धारा 40 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 43 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ड) खण्ड 33 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"33 यदि किसी शिक्षु या प्रशिक्षणार्थी के सिवाय, 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति खान में नियोजित है, तो ऐसी खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे जुर्माने से, जो 500 रु० तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा (धारा 68)।"

(ढ) खण्ड 38 में, "धारा 22 की उपधारा (1क), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या, धारा 22(क) की उप-धारा (2) के अधीन" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ण) खण्ड 39 में, "धारा 22 की उपधारा (1क) या उप धारा (2) या उपधारा (3) के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 22(क) की उप-धारा (2) के अधीन" शब्द और अंक अंत: स्थापित किए जाएंगे ।

(त) खण्ड 41 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"42, संरक्षा प्रबंधों या दी जाने वाली सुविधाओं या इस अधिनियम के अधीन प्रदाय किए जाने वाले किसी उपस्कर या साधित्र की बाबत खान में नियोजित किसी व्यक्ति से कोई फीस या प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा (धारा 85ग) ।"

[सं० एस० 65012/1/84-एम 1]

एल० के० नारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION
(Department of Labour)

New Delhi, the 3rd December, 1984

NOTIFICATION

G.S.R. 802(E).—The following draft of certain rules further to amend the Mines Rules, 1955, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 58 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is hereby published, as required by sub-section (1)2 of section 59 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of the period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Mines (Amendment) Rules, 1984.

2. The existing clause(i) of of rule 2 of the Mines Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules) shall be renumbered as clause (j), before clause (i) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

(i) "Officer-in-charge Canteen" means the person (other than the manager) whom the owner or agent may appoint for securing compliance with the provisions in respect of canteen.

3. In Chapter II of the said rules :—

(i) for the heading "MINING BOARD", the heading "Committee" shall be substituted;

(ii) for the word "Board" wherever it occurs, the word "Committee" shall be substituted;

(iii) for rule 3 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Term of office.—The terms of office of the members referred to in clauses (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 12 of the Act, shall be three years from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette.

Provided that a member shall, notwithstanding on the expiry of a period of three years, continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette :

Provided further that a member appointed to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is appointed and shall continue to hold office on the expiry of the term of office until the appointment of his successor is notified in the official Gazette".

(iv) for rule 4 of the said rules, the following rule Shall be substituted, namely :—

"4. Secretary of the Committee.—An Inspector of Mines nominated in this behalf by the Chief Inspector shall act as the Secretary to the Committee."

(v) for rule 5 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. Remuneration.—Members of the Committee shall receive such honorarium as the Central Government may fix."

(vi) rule 6 of the said rules shall be omitted;

(vii) in rule 12 of the said rules :—

(a) sub-rule (IA) shall be omitted;

(b) the existing sub-rule (2) shall be renumbered as sub-rule (3) and before sub-rule (3) as so renumbered, the following sub-rule, shall be inserted, namely :—

"(2) Notices referred to in sub-rule (1) shall be delivered at, or posted to, the usual place of residence of the member."

(viii) in rule 14 of the said for the words "four members", the words "four members including the Chairman" shall be substituted.

4. For sub-rule (2) of rule 22 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The amount directed to be recovered under sub-rule (1) may, on application by the Chief Inspector or an Inspector to the concerned authority, be recovered from the owner in the same manner as an arrear of land revenue."

5. In rule 24 of the said rules :—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) On receipt of a reference under sub-section (1) of section 43, the certifying surgeon shall, after giving prior notice regarding date, time and place for medical examination and upon examining the persons sent-up for such examination prepare the age and fitness certificate and deliver the same to the manager of the mine concerned after retaining a copy thereof".

(ii) sub-rules (3), (4) and (5) shall be omitted.

6. Rules 25, 26 and 27 of the said rules shall be omitted.

7. In sub-rule (1) of rule 28 of the said rules, the words and figures "section 40 or" shall be omitted.

8. Rule 29 of the said rules shall be omitted.

9. After Chapter IVA of the said rules, the following Chapter shall be inserted, namely :—

"CHAPTER IV B

Workmen's Inspector and Safety Committee.

29. Workmen's Insepector.—(1) (a) For every mine wherein 500 or more persons are ordinarily employed, the owner, agent or manager shall designate three suitable qualified employees of the mine duly nominated by workmen as technical experts to carry out inspection of the mine on behalf of the workers employed therein, one each for mining operations, electrical installations and mechanical installation. When the number of persons employed in a mine exceeds 1500, the workmen's Inspector shall be assisted by one additional Workmen's Inspector in mining discipline for every additional 500 persons or part thereof.

(b) In every mine, the owner, agent or manager shall constitute a panel of Workmen's Inspectors with regular and alternate members who may serve as substitute (s) in case a regular member is unable to perform his duties due to sickness or leave.

(c) In the panel there shall be at least one Workmen's Inspector each for mining, electrical and mechanical installation and operations.

(2) No person shall act as Workmen's Inspector of a mine unless,—

(a) He possesses an Overman's or Foreman's Certificate granted under the Act :—

Provided that :—

(i) In relation to electrical machinery installed in mines, an electrical forman equivalent in status of an overman may be appointed;

(ii) In relation to other machinery or mechanical appliances installed in mines, a mechanical foreman equivalent in status of an overman may be appointed;

(b) he has a least five years of experience in mines including at least two years in workings of the mines for which he is nominated;

(c) he has undergone an orientation training course for Workmen's Inspectors.

(3) The Workmen's Inspector shall perform the duties mentioned in clause (a) of sub-rule (1) of rule 29R for two days in every week; on remaining days of the week, he shall perform his normal duties unless

called upon to perform the duties mentioned in clauses (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 29R.

(4) (a) The Owner, agent or manager shall afford the Workmen's Inspector all reasonable facilities for making any entry, inspection, measurement, examination or inquiry in connection with his duties.

(b) An official of the mine shall accompany the workmen's Inspector during his inspection.

(c) The Workmen's Inspector may carry out his inspections at any time.

(5) When there occurs an accident of dangerous occurrence in or about a mine, the owner, agent or manager shall forthwith inform the concerned workmen's Inspector about the accident or the occurrence.

(6) The Workmen's Inspector shall not exercise his powers to impede or obstruct the working of the mine.

(7) A workman's Inspector nominated under sub-rule (1) shall, unless he resigns from his office, hold office for a period of three years from the date of his nomination and shall be eligible for renomination.

(8) No Owner, agent or manager shall take any action against a workmen's Inspector, during the term of his office except with the permission in writing from the Chief Inspector or an Inspector.

29R. Duties of Workmen's Inspector.—(1) The duties of the Workmen's Inspector shall be,—

(a) to inspect all shafts, inclines, roads, workplaces and the equipment thereof including the equipment for conveyance and transport of workers.

(b) in case of any urgent and immediate danger that come to his notice—

(i) to inform the manager and the Inspector about the same; and

(ii) to suggest remedial measures necessary to avoid the danger; and

(c) to accompany the Inspector in the course of latter's complete inspection of the mine and also during such other inspections as may be considered necessary by the Inspector.

(2) The Workmen's Inspector shall record a full report of the matters ascertained as a result of his inspection in an interleaved paged and bound register kept for the purpose in Form 4. The workmen's Inspector making the entry in the register aforesaid shall duly sign such entries with date and take a copy of the entries for his record.

29S. Action on the report of Workmen's Inspector.—(1) A true copy of the report of the Workmen's Inspector mentioned in sub-rule (2) of rule 29R shall be kept outside the office of the mine. The report shall be in the language understood by the majority of the persons employed in the mine.

(2) The owner, agent or manager of the mine shall enter in the register mentioned in sub-rule (2) of rule 29R, within a period of 15 days from the date of entry in the register, remarks thereon showing the remedial measures taken and the date on which such action was taken.

(3) In case of any difference of opinion between the Workmen's Inspector and the owner, agent or manager, a copy of the report with remarks thereon regarding such difference of opinion shall be sent to the Chief Inspector or an Inspector for decision.

29T. Safety Committee.—For every mine wherein more than 100 persons are ordinarily employed, the owner, agent or manager shall constitute a Safety Committee for promoting Safety in the mine.

Provided that the Chief Inspector or an Inspector may by a general or special order in writing require the owner, agent or manager of any group of specified mines or of all mines in a specified area to constitute a group safety committee in such manner and subject to such conditions as he may specify in the order.

29U. Composition of Safety Committee.—The Safety Committee shall consist of—

(a) the manager who shall be the Chairman;

(b) five officials of the mine nominated by the Chairman;

(c) five persons nominated by the workmen of the mine;

(d) Workmen's Inspector, and

(e) the Safety Officer, or where there is no Safety Officer, the seniormost mine official next to the manager, who shall act as Secretary to the Committee.

29V. Functions of Safety Committee.—The functions of the Committee shall be—

(1) to make periodic inspections to detect unsafe conditions and practices in the mine to consider proposals for remedial measures and make appropriate recommendations,

(2) before commencement of operations in any new district of a mine or commissioning of new electrical or mechanical installation, to inspect such district or installation in respect of appropriate safety and health measures and make recommendations;

(3) to consider and analysed the report of inquiry into accident and make appropriate recommendations;

(4) to formulate and implement appropriate safety campaigns based on analysis of accidents;

(5) to meet at least once in 30 days to consider the matter placed before it and make such recommendations as it may deem fit; and

(6) to serve as a forum for communication on safety and occupational health matters.

29W. Implementation of recommendations of the Safety Committee —The owner, agent or manager shall, within a period of 15 days from the date of receipt of the recommendations of the safety Committee, shall indicate to the Secretary to the Sefety Committee, the action taken to implement the recommendation."

10. For rule 52 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"52. Employment of apprentices or trainee.— No apprentice or trainee of the age of sixteen to eighteen years, shall be employed in a mine except under the immediate supervision of an experienced person of a mine".

11. In rules 68 and 69 of the said rules, for the word "manager' wherever it occurs the words "officer-in-charge canteen" shall be substituted.

12. For rule 76 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"76. Registers of reportable and minor accidents.— (1) The register required by sub-section (1A) of section 23 shall be maintained in Form J and a copy thereof shall be sent to the concerned Inspector of Mines.

(2) The register required by sub-section (3) of section 23 shall be maintained in Form K and a copy thereof shall be sent to the concerned Inspector of Mines."

13. After rule 82 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"82A. Disability allowance and compensation for occupational diseases.—(1) If a person employed in a mine, after undergoing medical treatment in pursuance of section 9A of the Act and on medical examination is medically unfit to discharge the duty which he was discharging in the mine immediately before the said examination and such unfitness being directly ascribable to his employment in the mine; and an alternative employment in the mine for which he is medically fit is not immediately available for him, he shall be paid disability allowance at the rate of fifty percent of his monthly wages for the period from the date of his being declared medically unfit and till he is provided with alternative employment.

(2) If, a person decides to leave his employment in the mine, he shall be entitled to compensation as may be admissible under the provisions of the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), as contracting of such disease is deemed to be an injury by accident under that Act. In case the disease is not covered under Schedule III of that Act, he shall be paid by way of disability compensation at the same rates as provided under that Act as if it is an injury. The lump sum compensation payable under this rule shall not be in addition to the compensation payable under that Act.

Explanation .—For the purposes of this rule, "wages" shall have the same meaning as defined in clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923).

(3) The provisions of sub-rule, (1) and (2) shall not operate to the prejudice to any right to which a person employed in a mine may be entitled to under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and when such award, agreement or contract of services provides for more favourable benefits than the disability compensation provided in sub-rules (1) and (2) such person shall be entitled to such benefits only."

14. In the First Schedule to the said rules,

(a) In Form A—

(i) column 4 shall be omitted ;

(ii) columns 5 and 6 shall be renumbered as columns 4 and 5 respectively.

(b) The word "adolescents" occurring in Forms C, D and E shall be omitted.

(c) In Form J—

(i) for the brackets, words and figures "(See Rule 76)" the brackets, words and figures "[See Rule 76(1)]", shall be substituted ;

(ii) for the word "Minor Accidents", the words "Return of Reportable Accidents" shall be substituted ;

(iii) for the word "Year.....", the words "Quarter ending.. " shall be substituted ;

(iv) after the Instructions, the following Note shall be inserted namely :—

"Note : Copies of entries regarding persons injured in preceding quarter(s) and who continued to absent in this quarter should also be submitted separately."

(d) for Form K the following Form shall be substituted, namely :—

Name of the mine————————————————

State ——————————————District ——————

Owner——————————————————————

Mineral worked————— Quarter ending on————————

"FORM K

[*See* rule 76(2)]

RETURN OF MINOR ACCIDENTS

Sl. No	Date of entry	Date of accident	Time of accident	Classfication		Brief description of case of accident	Name of injured worker	Sl. No. From Register in Form 'B'	Nature of employment	Nature of injury	Part of body injured	Date of return of injured preson to work	Initials of attending medical practitioner	Remarks
				by place of accident	by cause									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Instruction :—

Col. (5) : Specify as indicated in Annexure I to Form J.

Col. (6) : Specify as indicated in Annexure II to Form J.

Col. (7) : Give brief description of circumstances attending the accident.

Col. (11) : Specify whether simple would, laceration, abrasion etc.

Col. (15) : In case an injury proves 'reportable', 'Serious' or 'Fatal' or when injured person proceeds on leave or leaves his employment particulars should be entered in this column."

(e) after Form T, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM-U

[*See* rule 29R and 29S]

Name of Mine. . . . . Owner . . . . Manager . . . . .

Place/Installation inspected . . . .

Inspected by . . . . on . . . . Accompanied by . . . . .

Observations	Remedical measures suggested	Action taken for remedial measures	Date on which action taken	Remarks if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Signature of Workmen's Inspector with date.

Signature of mine official accompanying the Workmen's Inspector

Designation"

Date

15 In the Fifth Schedule to the said rules,

(a) after clause 3, the following clause shall be inserted, namely :—

"3A. The Chief Inspector or an Inspector or an officers authorised by him may undertake safety and occupational health survey in mines. The time spent by any person chosen for examination in such survey shall be counted towards his working time so however that any overtime shall be paid on ordinary rate of wages. If such person is found medically unfit on such survey, he shall be entitled to medical treatment at the cost of the owner, agent or manager with full wages, during the period of such treatment. If after such treatment he is declared medically unfit to discharge his duty, and if such unfitness is directly ascribable to his employment he shall be entitled for an alternative employment or a disability allowance and in case he desires to leave the employment, for payment of a lump sum compensation. (Section 9A)."

(b) in clause 5, the following shall be inserted at the end, namely :—

"For any contravention of the provisions of this Act or of the Regulations, Rules, Bye-laws or orders made thereunder, the person who contravenes, the concerned supervisor, the owner, the agent and the manager of the mines and in matters of canteen, creches or pithead bath, the person appointed if any, under sub-section (2) of section 18 shall be deemed to be guilty."

(c) (i) For the heading "Accidents", the following heading shall be substituted, namely :—

"Accidents and Prohibitory Orders".

(ii) in clause 7, the following shall be inserted at the end, namely :—

"Except for preventing further accidents or for saving life or for recovering dead bodies, the place of accident shall not be disturbed or altered before the arrival or without the consent of the Chief Inspector or an Inspector or before the expiry of 72 hours therefrom, whichever is the earliest, unless discontinuance of work at the place of accident would seriously impede the working of the mine".

(d) after clause 8, the following clause shall be inserted, namely :—

"8A. Every person whose employment is prohibited under sub-section (1A) or sub-section (3) of section 22 or under sub-section (2) of section 22A, shall be paid the full wages for the relevant period or provided with alternative employment (Sections 22 and 22A)".

(e) in clause 13, for the definition of "Ordinary rate of wages", the following definition shall be substituted namely :—

Ordinary rate of wages" means the basic wages plus any dearness allowance, underground allowance, incentive bonus (but not ordinary bonus), compensation in cash against free supply of foodgrains and edible oils (but not against free housing, free supply of coal, kerosene oil, tools and uniforms, medical and educational facilities, sickness allowance) and in case of a person paid on piece-rate basis, the average of his full-time earnings (exclusive of any overtime) during the preceding week."

(f) for clauses 19 and 20, the following clauses shall respectively be substituted namely :—

"19. A person below 18 years of age shall not work in any part of a mine unless he is an apprentice or a trainee in which case he may be below 18 years but not below 16 years of age. (Section 40).

20. Where an Inspector is of opinion that any person employed in a mine otherwise than as an apprentice or other trainee is not an adult or that any person employed in a mine as an apprentice or other trainee is either below sixteen years of age or is no longer fit to work, the Inspector may serve on the manager of the mine a notice requiring that such person shall be examined by a certifying surgeon and such person shall not if the Inspector so directs, be employed or permited to work in any mine until he has been so examined and has been certified that he is an adult or, if such person is an apprentice or trainee, that he is not below sixteen years of age and is fit to work (Section 43)."

(g) clauses 21, 22, 23 and 24 shall be omitted.

(h) in sub-clause (1) of clause 26, the words "and in case of an adolescent, reference to the certificate of fitness" shall be omitted.

(i) in sub-clause (1)(a) of clause 27 for the words, "sixteen days", the words "fifteen days" shall be substituted.

(j) after sub-clause (9) of clause 27 before the explanation, the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(10) If a person employed in a mine is discharged or dismissed or quits his employment or is superannuated or dies while in service, he or his heirs or his nominees is entitled to wages in lieu of leave due if he has put in the minimum number of attendance prescribed in sub-section (10) of section 52.

(k) in the explanation after sub-clause (10) of clause 27 for the brackets, word and figure "(1) and (3)" the brackets word and figures "(1), (3) and (10)" shall be substituted.

(l) in clause 32 for the words and figures "under section 40", the words and figures "under section 43" shall be substituted.

(m) for clause 33, the following clause shall be substituted, namely :—

"33. If any person below 18 years of age is employed in a mine except as an apprentice or trainee, the owner, agent or manager of such mines shall be punishable with fine upto Rs. 500/- (section 68)."

(n) in clause 38, after the words and figure "section 22" the words and figure "or, under sub-section (2) of section 22(A)" shall be inserted.

(o) In clause 39, after the word and figure "Section 22", the words and figures "or, under sub-section (2) of section 22(A)" shall be inserted.

(p) after clause 41, the following clause shall be added, namely :—

"42. No fee or charge shall be realised from any person employed in a mine in respect of any protective arrangements or facilities to be provided or any equipment or appliances to be supplied under this Act (Section 85C)."

[No. S-65012/1/84-MI]

L. K. NARAYANAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985